



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो०ब०-१५/२०२०-१९

दिनांक : ०६/१/२०२१

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची/गुमला वन प्रमण्डल, गुमला/लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा/चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर/उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

विषय :—

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्वरल ऑपरेशन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बॉस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य हेतु रु० 296.452 (दो करोड़ छियानबे लाख पैंतालीस हजार दो सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः—

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो०ब०-३३/२०२०-१६/स्वी० व०प० दिनांक 03.11.2020 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो०ब०जट-३३/२०२०-३३/आ० व०प० दिनांक 10.12.2020।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्वर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु० 296.452 (दो करोड़ छियानबे लाख पैंतालीस हजार दो सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:—

| प्राथमिक इकाई       | विपत्र कोड         | (राशि लाख में) |
|---------------------|--------------------|----------------|
| मजदूरी              | 19S240601101400103 | 279.707        |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S240601101400323 | 16.745         |
| कुल :-              |                    | 296.452        |

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2 पर, स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601101400103 एवं 19S240601101400323456 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरू करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल—मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

5. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जायेगा।

6. इस योजना में प्राकृतिक रूप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमंडलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण है। कार्य प्रारंभ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते हैं। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।

7. वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची द्वारा विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों का सघनता (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्यों के प्रभाव का तुलनात्मक शोध अध्ययन किया गया है, जिसकी Soft copy इस पत्र के साथ संलग्न है। बाँस वनों में कंजेशन हटाने एवं वन वर्द्धन कार्य शोध में वर्णित Model-III के अनुसार ही किया जायेगा। इस मॉडल पर कार्य करते समय यदि कोई कठिनाई आए तो मुख्य वन संरक्षक, शोध से संपर्क कर मार्ग निदेश माँगा जा सकता है।

8. Silviculture operation की योजना के अंतर्गत बाँस बखार की सफाई के लिए व्यय हेतु एक हेठो में 200 बखार की संख्या मानक मानी गई है एवं उसी अनुरूप राशि का व्यय किये जायेंगे।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

11. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम—174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
13. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।
14. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :—

- (i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।
- (ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेखा प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जाय।
- (iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।
- (iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।
- (v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अनिं रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।
- (vii) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।
- (viii) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। केंद्रम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पटाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

15. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :—

- (क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।
- (ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।
- (ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

16. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकरियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का स्थूल स्थल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप

करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा २५ निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हैं निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, ज्ञारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका— VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

17. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, ज्ञारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

18. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरिडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

(iii) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें विनिहित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

253

(iv) कंडिका-18 (II) की monitoring भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी के अधीन रहेंगे।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

20. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के निर्देशों का पालन किया जाय।

21. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

22. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

23. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

24. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-2341 दिनांक-04.12.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

25. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

26. जिन वन प्रमंडलों के स्थलों में जी0पी0एस0 कॉ-ऑर्डिनेट्स एवं प्लॉट नं0 अप्राप्त है, उनके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थलों का जी0पी0एस0 कॉ-ऑर्डिनेट्स एवं प्लॉट नं0 उपलब्ध कराने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—15 / 2020—19

दिनांक— 06/11/2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, व्याघ परियोजना, पलामू / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची / हजारीबाग / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची / गुमला / चतरा / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—15 / 2020—19

दिनांक— 06/11/2021

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / गुमला / लोहरदगा / चतरा / मैदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 0 295.80 प्रति मानव दिवस)

| क्र0<br>सं0 | वन प्रमण्डल का नाम   | भौतिक लक्ष्य<br>(हेए) | 2020-21 (अग्रिम कार्य) |                        |          |
|-------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|----------|
|             |  |                       | मजदूरी                 | आपूर्ति एवं<br>सामग्री | कुल      |
|             |  |                       | 28396.80               | 1700.00                | 30096.80 |
| 1           | राँची वन प्रमंडल, राँची  | 100                   | 28.397                 | 1.700                  | 30.097   |
| 2           | गुमला वन प्रमंडल, गुमला  | 100                   | 28.397                 | 1.700                  | 30.097   |
| 3           | लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा                                      | 75                    | 21.297                 | 1.275                  | 22.572   |
| 4           | चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा                                    | 50                    | 14.198                 | 0.850                  | 15.048   |
| 5           | उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना,<br>उत्तरी प्रमंडल, मेदिनीनगर  | 330                   | 93.709                 | 5.610                  | 99.319   |
| 6           | उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना,<br>दक्षिणी प्रमंडल, मेदिनीनगर | 330                   | 93.709                 | 5.610                  | 99.319   |
| योग :-      |  | 985                   | 279.707                | 16.745                 | 296.452  |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झाखण्ड, राँची

6/1/2021

## "सिल्वीकल्वर ऑपरेशन योजना" के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन-वर्द्धन के कार्यों की दर तालिका

मजदूरी दर - 295.80 रु

प्रति 200 बाँस बखार (मानक संख्या प्रति हेटो)

(राशि रूपये में)

| क्र० सं० | कार्य का विवरणी  | मानव दिवस | मजदूरी   | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि | आमुक्ति   |
|----------|--|-----------|----------|---------------------|----------|---|
| i        | ii   | iii       | iv       | v                   | vi       | vii   |
| A        | वित्तीय वर्ष 2020-21 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 295.80  |           |          |                     |          |   |
| 1        | सर्वे, सीमांकन एवं बखार का नंबरिंग   | 3         | 887.40   | 0.00                | 887.40   |   |
| 2        | बाँस बखारों (Clumps) की सफाई एवं Silviculturally available बाँसों का विदोहन कार्य (200 बखार प्रति हेटो की मानक संख्या से)                          | 40        | 11832.00 | 200.00              | 12032.00 | बड़े बाँस बखारों के सुगम विकास हेतु आवश्यकतानुसार बखार को दो या अधिक भाग में विभक्त करना।                   |
| 3        | वनों में आंतरिक अग्नि रेखा की सफाई, 5 मीटर चौड़ा (प्रत्येक 250 मीटर पर) एवं स्थल से सफाई किए गए बाँसों को हटाना                                    | 10        | 2958.00  | 0.00                | 2958.00  |   |
| 4        | बखारों के चारों ओर 1.5 फीट गोलाई में निकोनी एवं मिट्टी को हल्का करना तथा खाद डालना   | 20        | 5916.00  | 1500.00             | 7416.00  | एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा   |
| 5        | राइजोम प्रिजरवेशन हेतु बखारों में कोडनी/निकोनी क्षेत्र के बाहर 1 फीट गोलाई में मिट्टी लेकर बखारों पर चढ़ाना  | 20        | 5916.00  | 0.00                | 5916.00  | एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा   |
| 6        | सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)  | 3         | 887.40   | 0.00                | 887.40   | सफाई के दौरान निकले राइजोम को उन खाली स्थालों पर लगाना, जहाँ बाँस बखारों की संख्या 200 प्रति हेटो से कम है। |
|          | कुल  | 96        | 28396.80 | 1700.00             | 30096.80 |   |
| B        | वित्तीय वर्ष 2021-22 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 340 (वृद्धि 15 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2020-21 को आधार मानते हुए |           |          |                     |          |   |
| 1        | सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)  | 12        | 4080.00  | 0.00                | 4080.00  |   |
|          | कुल  | 12        | 4080.00  | 0.00                | 4080.00  |   |
|          | संकलन योग्य  | 108       | 32476.80 | 1700.00             | 34176.80 |   |


  
अपर व्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

N

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2021-22 तक कायान्वित की जाने वाली “सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना” (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस वनों में कंजेश्वर (Congestion) हटाना एवं वन-वर्द्धन कार्य का स्थल विवरणी

| क्रम संख्या | वन प्रमङ्गल का नाम  | वन प्रक्षेत्र का नाम              | प्रखण्ड का नाम | स्थल का नाम         | आना / अना संख्या | जी०पी०एस० को-ऑपरेटर          | प्लॉट नंबर                           | क्षेत्रफल (हेक्टेन्ड में) |
|-------------|---|-----------------------------------|----------------|---------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|             |   |                                   |                |                     | vii              | viii                         | ix                                   | x                         |
|             |   |                                   |                | vi                  | iv               | v                            | vi                                   |                           |
| 1           | रौंची वन प्रमङ्गल, रौंची कांक                               | रौंची पूर्वी वन क्षेत्र, महिलांग  |                | हुडरु               | अनगडा-61         | N23°43.723" E83°66.569"      | 988                                  | 40                        |
| 2           | गुमला वन प्रमङ्गल, गुमला                                    | रौंची पश्चिमी वन क्षेत्र, कांक    |                | पुरु                | काके-10          | N23°32'17.06" E85°17'04.94"  | 130                                  | 30                        |
| 3           | लोहरदगा वन प्रमङ्गल, लोहरदगा                                | रौंची वनस्त्रेपण प्रक्षेत्र, बेडो |                | तिलकसारी            | इटकी-109         | N23°30'62" E85°9'1198"       | 21, 25, 378, 477, 492, 705, 759, 769 | 30                        |
| 4           | चतरा दक्षिणी वन प्रमङ्गल, चतरा                              |                                   |                |                     |                  |                              | योग:- 100                            |                           |
|             |   |                                   |                | विशुनपुर वन क्षेत्र | चापाटोली         | विशुनपुर-62                  |                                      | 50                        |
|             |   |                                   |                | कुरुमाड वन क्षेत्र  | वैनपुर           | सिलफरी चैनपुर-111            |                                      | 20                        |
|             |   |                                   |                | कुरुमाड वन क्षेत्र  | चैनपुर           | भेलवाला चैनपुर-37            |                                      | 15                        |
|             |   |                                   |                | कुरुमाड वन क्षेत्र  | चैनपुर           | महेशपुर चैनपुर-110           |                                      | 5                         |
|             |   |                                   |                | कुरुमाड वन क्षेत्र  | धाघरा            | सलामी धाघरा-4                |                                      | 10                        |
|             |   |                                   |                |                     |                  |                              | योग:- 100                            |                           |
|             |   |                                   |                | बनारी               | विशुनपुर         | बलातु विशुनपुर-01            | N23°25'48.3" E84°17'43.7"            | 04, 81                    |
|             |   |                                   |                | चतरा                | चतरा             | मोहनाईह चतरा-176             | N24°13'40.7" E84°53'17.2"            | 75                        |
|             |   |                                   |                |                     |                  |                              | योग:- 75                             |                           |
| 5           | उप निदेशक, पलामू व्याप परियोजना, उत्तरी प्रमङ्गल, मेदिनीनगर | चेतला प्रक्षेत्र                  |                | जोगनी पहाड          |                  | N23°53'30.25" E084°12'51.82" |                                      | 75                        |
|             |   |                                   |                | पलमुआ पहाड          |                  | N23°52'20.78" E084°14'19.70" |                                      | 50                        |
|             |   |                                   |                | पलमुआ पहाड          |                  | N23°52'47.90" E084°12'33.56" |                                      | 75                        |
|             |   |                                   |                | राजधानी             |                  |                              |                                      | 50                        |
|             |   |                                   |                | सिरवाल्यांड         |                  |                              |                                      | 30                        |
|             |   |                                   |                | सिरवाल्यांड         |                  |                              |                                      | 50                        |
|             |   |                                   |                |                     |                  |                              | योग:- 330                            |                           |

mm

949





## आवंटन आदेश

243

### झारखण्ड सरकार

चार्क वित्तीय वर्ष

2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं

पत्र संख्या -

01/YB-15/2020/19

दिनांक -

06-Jan-2021

| क्रमांक | विपत्र कोड   | एक्रेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.  | आवंटित राशि  |
|---------|--|-----------|--|--|
| 1       | S 19 240601101400103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br><b>State Scheme</b><br><br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Central Scheme : NA | 67790     | DRNFWL013<br>ASHOK KUMAR DUBEY<br>DFO. RANCHI FORES<br>DIVISION RA | 2,839,700.00<br>रुपये अठाइस लाख उनचालीस<br>हजार सात सौ |
| 2       | S 19 240601101400103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br><b>State Scheme</b><br><br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Central Scheme : NA | 67791     | GMLFOR001<br>SRIKANT IFS<br>D.F.O. GUMLA                           | 2,839,700.00<br>रुपये अठाइस लाख उनचालीस<br>हजार सात सौ |

योग:

क्रमिक योग:

रुपये छप्पन लाख उन्नासी हजार चार सौ

5,679,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF, DEV.JHARKHAND

246

| क्रमांक            | विपत्र कोड   | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.   | आवंटित राशि   |
|--------------------|--|-----------|---|---|
| 3                  | S 19 240601101400103   | 67792     | LDGFOR001<br>VIKASH KUMAR UJJWAL<br>DIV.FOREST OFFICE                 | 2,129,700.00<br>रुपये इक्कोसीस लाख उन्नीस हजार सात सौ |
|                    | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br><b>State Scheme</b><br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Central Scheme : NA |           |   |   |
| 4                  | S 19 240601101400103   | 67793     | CTRFOR003<br>SURENDRA PRASAD<br>SUMAN<br>D.F.O. SOUTH DIVN.<br>CHATRA | 1,419,800.00<br>रुपये चौदह लाख उन्नीस हजार आठ सौ      |
|                    | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br><b>State Scheme</b><br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Central Scheme : NA |           |   |   |
| 5                  | S 19 240601101400103   | 67794     | PLMFOR069<br>KUMAR ASHISH IFS<br>DY.DIR.TIGER.PRO.N<br>ORTH.DIV.MED   | 9,370,900.00<br>रुपये तिरनावे लाख सत्तर हजार नौ सौ    |
|                    | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन<br>01 - वेतन एवं भत्ते<br>03 - मजदूरी<br><b>State Scheme</b><br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Central Scheme : NA |           |   |   |
| योग: 12,920,400.00 |  |           |   |   |
| क्रमिक योग:        | रुपये एक करोड़ पिच्चासी लाख निन्नानये हजार आठ सौ   |           |   | 18,599,800.00   |
|                    |  |           |   |   |
|                    |  |           | (NAND KISHORE SINGH)  |   |
|                    |  |           | ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND  |   |
| Page 2 of 5        | 59,97,147,85   | RANCH     | Run Date:   | 6/1/2021  |

945

| क्रमांक | विपत्र कोड                                    | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.             | आवंटित राशि                           |
|---------|---|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 6       | S 19 240601101400103                          | 67795     | PLMFOR068                         | 9,370,900.00                          |
|         | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी                 |           | MUKESH KUMAR                      | रुपये तिरनावे लाख सत्तर हजार<br>नौ सौ |
|         | 01 - वानिकी                                   |           | DY.DIR.TIGER.PRO.S<br>UTH.DIV.MED |                                       |
|         | 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण            |           |                                   |                                       |
|         | 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन                       |           |                                   |                                       |
|         | 01 - वेतन एवं भत्ते                           |           |                                   |                                       |
|         | 03 - मजदूरी                                   |           |                                   |                                       |
|         | <b>State Scheme</b>                           |           |                                   |                                       |
|         | State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) |           |                                   |                                       |
|         | Central Scheme : NA                           |           |                                   |                                       |
| 7       | S 19 240601101400323                          | 67796     | DRNFWL013                         | 170,000.00                            |
|         | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी                 |           | ASHOK KUMAR DUBEY                 | रुपये एक लाख सत्तर हजार               |
|         | 01 - वानिकी                                   |           | DFO. RANCHI FOREST<br>DIVISION RA |                                       |
|         | 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण            |           |                                   |                                       |
|         | 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन                       |           |                                   |                                       |
|         | 03 - प्रशासनिक व्यय                           |           |                                   |                                       |
|         | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री                      |           |                                   |                                       |
|         | <b>State Scheme</b>                           |           |                                   |                                       |
|         | State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) |           |                                   |                                       |
|         | Central Scheme : NA                           |           |                                   |                                       |
| 8       | S 19 240601101400323                          | 67797     | GMLFOR001                         | 170,000.00                            |
|         | 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी                 |           | SRIKANT IFS                       | रुपये एक लाख सत्तर हजार               |
|         | 01 - वानिकी                                   |           | D.F.O. GUMLA                      |                                       |
|         | 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण            |           |                                   |                                       |
|         | 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन                       |           |                                   |                                       |
|         | 03 - प्रशासनिक व्यय                           |           |                                   |                                       |
|         | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री                      |           |                                   |                                       |
|         | <b>State Scheme</b>                           |           |                                   |                                       |
|         | State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) |           |                                   |                                       |
|         | Central Scheme : NA                           |           |                                   |                                       |

योग:

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड तिरनासी लाख दस हजार सात सौ

9,710,900.00

28,310,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCH

३१

| क्रमांक   | विपरी कोड   | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.   | आवंटित राशि   |
|---|---|-----------|---|---------------|
| 9   | S 19 240601101400323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - मिल्चिकल्चर औपरेशन<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br><b>State Scheme</b><br><br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Central Scheme : NA | 67799     | LDGFOR001<br>VIKASH KUMAR UJJWAL<br>DIV.FOREST OFFICE                 | 127,500.00    |
| 10  | S 19 240601101400323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - मिल्चिकल्चर औपरेशन<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br><b>State Scheme</b><br><br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Central Scheme : NA | 67800     | CTRFOR003<br>SURENDRA PRASAD<br>SUMAN<br>D.F.O. SOUTH DIVN.<br>CHATRA | 85,000.00     |
| 11  | S 19 240601101400323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>101 - वन मंरक्षण, विकास तथा संपोषण<br>40 - मिल्चिकल्चर औपरेशन<br>03 - प्रशासनिक व्यय<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री<br><b>State Scheme</b><br><br>State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348)<br>Central Scheme : NA | 67802     | PLMFOR069<br>KUMAR ASHISH IFS<br>DY.DIR.TIGER.PRO.N<br>ORTH.DIV.MED   | 561,000.00    |
| योग:  |   |           |   | 773,500.00    |
| क्रमिक योग:   |   |           |   | 29,084,200.00 |
| <p>रुपये दो करोड नब्बे लाख चौरासी हजार दो सौ</p> <p><i>NAND KISHORE SINGH</i><br/>ADDL. PCCF, DEV.JHARKHAND<br/>RANCH</p> |   |           |   |               |

943

| क्रमांक | विपत्र कोड                         | एक्सेस नं                      | निकासी एवं व्ययन पदा. | आवंटित राशि               |
|---------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 12      | S 19 240601101400323               | 67804                          | PLMFOR068             | 561,000.00                |
|         | 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी      |                                | MUKESH KUMAR          | रुपये पाँच लाख इक्सठ हजार |
|         | 01 - वानिकी                        |                                | DY.DIR.TIGER.PRO.SC   |                           |
|         | 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण |                                | UTH.DIV.MED           |                           |
|         | 40 - मिल्निकल्चर ऑपरेशन            |                                |                       |                           |
|         | 03 - प्रशासनिक व्यय                |                                |                       |                           |
|         | 23 - आपूर्ति एवं सामग्री           |                                |                       |                           |
|         | <b>State Scheme</b>                |                                |                       |                           |
|         | State Scheme :                     | SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) |                       |                           |
|         | Central Scheme :                   | NA                             |                       |                           |



योगः

क्रमिक योगः

रुपये दो करोड छवानवे लाख पैंतालीस हजार दो सौ

561,000.00

29,645,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF.DEV.JHARKHAND

59,97,147.85

RANCH